

राजस्थान-सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
(दिनांक 15.10.2025)

राजस्व प्रकरण प्रार्थना पत्र सं. :- 432/2025

GCMS NO:- 2025/.....

क्रिम मुकदमा :- 136 LR Act.

उपनाम :- अंतर सिंह बनाम राज0 सरकार

-आदेश:-


दिनांक :- 15.10.2025

प्रार्थी के "नाम दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, प्रार्थी प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं रिपोर्ट तहसीलदार बुहाना व पटवारी हनुवा घसेडा के आधार पर, राजस्थान गृ-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम	खाला संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्धप्रविष्टि)	आदेश (शुद्धप्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	घसेडा	12, 85	अंतर सिंह पुत्र चन्दगी करण सिंह पुत्र चन्दगी	अंतर सिंह पुत्र चन्दगीराम करण सिंह पुत्र चन्दगीराम



क्र. मांके. - राजस्व/2025/839
प्रतिनिधि-


(पुनम शीमा)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
उपखण्ड अधिकारी एवं
जिला कलेक्टर (पदेन)
पदेन सहा0 कलेक्टर, बुहाना

दिनांक:- 15/10/25

1. तहसीलदार बुहाना को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर सात दिवस में पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. संबंधित श्री अंतर सिंह पुत्र चन्दगीराम जाति यादव निवासी घसेडा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0 को सूचनाथ।


(पुनम शीमा)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
उपखण्ड अधिकारी एवं
जिला कलेक्टर (पदेन)
पदेन सहा0 कलेक्टर, बुहाना

